समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील/3717-I-15

अपील प्रकरण कमाक /2015 जिला जवलपुर

सुखराम ठाकुर पुत्र श्री दुलीचंद ठाकुर निवासी प्लाटं न0 97 मनीराम का बगीचा , गोराबाजार जवलपुर म0प्र0 ।

.............अपीलार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 17-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. नरेन्द्र सिह ठाकुर पुत्र श्री द्वारका सिह ठाकुर निवासी 412 गोतम की मढिया हनुमान मंदिर के बगल मे बीर सावरकर वार्ड गढा जिला जवलपुर म.प्र.

..........प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर , जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क 399/अ–21/2013–2014 मे पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाथी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । कि ग्राम मोजा जमुनिया की भूमि खसरा नं0 153/2,183/2,184/2,192 एवं 193 का रकवा कमशः 0.060 हेक्ट, 0.080 हैक्ट 0.300हे.,0.310, हैक्ट 0.0960 हेक्ट कुल रकवा 1.710 हैक्ट आवेदक की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो उबड खावड पथरीली है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय क रवह अन्य उपजाउ अच्छी भूमि कय कर अपना भरण पोषण करना चाहता है इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुवंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विकय की अनुमति दी जावे ।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक A371/I /2015 जिला.....जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
20.11.15	अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के अभिभाषक ने बताया कि कलेक्टर जिला जबलपुर को आवेदन प्रस्तुत कर मौजा जमुनिया स्थित निजी भूमि सर्वे कमांक 153 रकबा 0.060 हैक्टर, 2183 रकबा 0.080 हैक्टर, 2184 रकबा 0.300 हैक्टर, 2192 रकबा 0.310 हैक्टर, 193 रकबा 0.960 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.710 हैक्टर के विकय की अनुमति मांगी थी। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण कमांक 399/अ-21/2013-14 दर्ज करके अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर से जांच कराने का निर्णय लिया , जब अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया, कलेक्टर व्दारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी एंव किसी अन्य अधिकारी ने कलेक्टर की आर्डरशीट लिख दी और उसी आर्डरशीट को सत्य मानकर कलेक्टर व्दारा अपीलांट का विकय अनुमति आवेदन का प्रकरण अनुपस्थित मानकर निरस्त कर दिया। इस प्रकार अपीलांट के साथ न्याय नहीं किया गया है इसलिये अपीलांट के निजी स्वत्व की भूमि के विकय की	

A प्रकरण कमांक 3717/ I /2015 जिला.....जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	अनुमति प्रदान की जावे। 2/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी व्दारा निजी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 153, 2183, 2184, 2192, 193 कुल किता 5 कुल रकबा 1.710 हैक्टर के विक्रय की अनुमति कलेक्टर जबलपुर से मांगी है एंव बताया गया है कि उक्तांकित भूमि निजी भूमि है शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि नहीं है। कलेक्टर जबलपुर के समक्ष अपीलांट व्दारा प्रस्तुत आवेदन में बताया गया है कि विक्रय की जाने वाली उबड़-खाबड़ एंव पथरीली भूमि है जिसे वह विक्रय करके प्राप्त धन से उसके स्वामित्व की अन्य भूमि को अधिक उपजाउ बनाने एंव सिंचाई का साधन बढ़ायेगा । 3/ कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण कमांक 399/ अ-21/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26-10-15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अपीलांट पर सूचना पत्र तामील होने के वाद उपस्थित न होने से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त	

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

Aप्रकरण कमांक 3717/ I /2015 जिला......जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	2. क्रेता से विक्रेता को शासन व्दारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उप पंजीयक सत्यापन उपरांत ही विक्रय पत्र संपादित करेंगे। सदस्य	